

उपखण्ड

उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला बारां (राज.)

पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
38/021	88, 89, 188 RTA	डा. न्या. हेड	२१३१
वादी		वाद शीर्षक	प्रतिवादी
रामकिशन		बनाम	जमना बाई वगै०

वकील :- R.K. Soni

आदेश पत्रक

वकील :-

दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	विविध संदर्भ
28/6/21	<p>अभिभाषक प्रार्थी द्वारा एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर टी एक्ट विरुद्ध प्रतिवादी गण के इस न्यायालय में पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे तथा प्रतिवादी गणों को जर्जे सम्मन तलव किया जाकर पत्रावली दिनांक 14.07.2021 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;"><i>[Signature]</i> उपखण्ड अधिकारी छबड़ा, जिला बारां (राज०)</p>	
14/7/21	<p>पत्र पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 23.8.21 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i> श्री डी न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारा)</p>	
01/12/21	<p>प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 शिविर.....<i>[Signature]</i>.....पर पत्रावली पेश नहीं हुई। पक्षकारान उपस्थित/अनुपस्थित। कार्यवाही नहीं हो संकी। पूर्ववत पत्रावली न्यायालय में दिनांक.. 25.4.22 को पेश हो। <i>[Signature]</i></p>	
25/4/22	<p>पत्र पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक.. 8.1.6.22 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i> न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारा)</p>	



दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश
8.5.24	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपर। साक्ष्यवादी उपर नहीं। कथन मांग है। अंतिम अवसर दिया जाता है। पत्रावली वाले साक्ष्यवादी दिनांक 26.6.24 को पेश हो। स
26.6.24	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपर। साक्ष्यवादी उपर नहीं। अंतिम अवसर दिया जाता है। पत्रावली वाले साक्ष्यवादी दिनांक 12.8.24 को पेश हो। स
12.8.24	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी एवं स्वयं वादी उपर नहीं। न्यायालय ने कड-कड कर लीन कर आज्ञा पुनरवाई गई। न्यायालय क्लिफित होने तक इंतजार किया गया। कोई उपस्थित नहीं हुआ। प्रकरण अदम्य दायरी अदम्य फेरवी ने खारिज किया जाता है। पत्रावली पैंगल शुभान दोकर काद तामिल वकमील के साक्ष्य उपर हो। स

NO